मोहनलाल बनाम नरेन्द्रा

प्र.न. 67/20

दिनांक	आज्ञा पत्र	
...5/20	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट **स्वीकार** की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 67 / 2020

1 मोहनलाल पुत्र भगवाना उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ढाणी दीपावाली तन कांसरडा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
2 श्रीमती बदामी देवी पत्नी बसन्तीलाल जाति सैनी निवासी नांगल जैसा बोहरा की ढाणी छीलरा झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नरेश उम्र 12 साल पुत्र स्व. परसाराम
2 दिनेश उम्र 10 साल पुत्र स्व. परसाराम
3 मन्जू उम्र 14 साल पुत्री स्व. परसाराम
समस्त नाबालिगान जरिए प्राकृतिक सरंक्षिका माता संतोष देवी पत्नी स्व. परसाराम जाति जाट निवासी ढाणी दीपावाली तन कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
4 भगवाना फौत
4 / 1 सोहनलाल पुत्र भगवानाराम
4 / 2 हरसाराम पुत्र भगवानाराम
5 श्रीमती भगवानी पत्नी भगवाना लोछिब उम्र 70 साल
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी दीपावाली तन कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
6 उप पंजीयक खण्डेला जिला सीकर।
7 पटवारी हल्का कांसरड़ा जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ.धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय
खण्डेला जिला सीकर मु.नं. 10/2016 बउनवानी नरेश
आदि बनाम भगवाना आदि प्रार्थना पत्र अ.धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दि. 22.02.2017

उपस्थिति :

1. श्री हरफूल खीचड., अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2016 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से बहैसियत संरक्षिका माता संतोष के द्वारा एक नियमित वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के यहां वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं उसके साथ अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 10/2016 उनवानी नरेश आदि बनाम भगवाना आदि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आवेदन को दिनांक 22.02.2017 को निस्तारित करते हुए अपीलाधीन आदेश इस आशय का पारित कर दिया गया गया कि स्थगन आदेश दिनांक 13.01.2016 तादौराने राजस्व रिकार्ड फैसल वाद कन्फर्म किया जाता है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
उपखण्ड राजस्व अपील आधिकारी,
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में होते हुए भी गलत विवेचन कर प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने की भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का विवादित भूमियों के किसी भी हक हिस्से से कोई संबंध सरोकार नहीं है विवादित भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 की स्वअर्जित भूमियां थी जो अपीलान्ट संख्या 1 को जरिए अपहार प्रलेख व अपीलान्ट संख्या 2 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा अपीलान्ट की उक्त हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का उक्त भूमियों से कोई संबंध सरोकार नहीं है उनका न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता व ना ही सुविधा का संतुलन व ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उनके पक्ष में है विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कानूनन प्रकरण का अंतिम निस्तारण आदेशिका पर नहीं किया जा सकता है राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का अंतिम निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं हो सकता है बल्कि अलग से निर्णय पारित किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली की आदेशिका पर पारित किया गया होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पैत्रिक भूमियां है जो प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम जाजोद में स्थित पैत्रिक भूमियों को विक्रय कर उनके प्राप्त प्रतिफल से क्रय की गई पैत्रिक मौरूसी भूमियां है तथा प्रार्थीगण के दादा–दादी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काफी वृद्ध हो चुके है जिन्होंने अपनी भूमियों को बराबर–बराबर अपने पुत्रों को बांट कर मौके पर बराबर बराबर हिस्सानुसार संभला रखा है जिसमें प्रार्थीगण अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमियों पर पूर्णत काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्त चले आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 3 काफी चालाक व बदमाश किश्म का व्यक्ति है जिसने अपने पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को रमेशचन्द्र सैनी पुत्र छोटीलाल माली को बेचान कर दिया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 4 को बेचान कर दी है तथा उसका विकय लेख अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से अप्रार्थी संख्या 3 ने उसके हक में करवाया है जो प्रार्थीगण के पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर है तथा प्रार्थीगण अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमियों पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने व भूमियों को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर भू–माफिया गिरोह का बलात कब्जा करवाने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने धारा 212 के तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसके पश्चात भी अपील 3 वर्ष के असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कथन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

रहा है कि विवादित भूमियां पैत्रिक भूमियां है जो प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम जाजोद में स्थित पैत्रिक भूमियों को विक्रय कर उनके प्राप्त प्रतिफल से क्रय की गई पैत्रिक मौरूसी भूमियां है तथा प्रार्थीगण के दादा–दादी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काफी वृद्ध हो चुके है जिन्होंने अपनी भूमियों को बराबर–बराबर अपने पुत्रों को बांट कर मौके पर बराबर बराबर हिस्सानुसार संभला रखा है जिसमें प्रार्थीगण अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमियों पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 3 काफी चालाक व बदमाश किश्म का व्यक्ति है जिसने अपने पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को रमेशचन्द्र सैनी पुत्र छोटीलाल माली को बेचान कर दिया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 4 को बेचान कर दी है तथा उसका विक्रय लेख अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से अप्रार्थी संख्या 3 ने उसके हक में करवाया है जो प्रार्थीगण के पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर है तथा प्रार्थीगण अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमियों पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पैत्रिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने व भूमियों को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर भू–माफिया गिरोह का बलात कब्जा करवाने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। विचारण न्यायालय से प्रार्थी ने ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने धारा 212 के तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसके पश्चात भी अपील 3 वर्ष के असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर